

„जनजातीय शिक्षा की स्थिति और चुनौतियां: मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण“

डॉ. दिनेश कुमार ढाकरिया
सहा. प्राध्या. (अ.वि), समाजशास्त्र
शासकीय महा. तामिया, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
Email:- ddhakriya@gmail.com

सार

प्रमुख शब्द:-

जनजातीय शिक्षा,
मध्यप्रदेश, शैक्षिक
विषमता, नीति
विश्लेषण, शिक्षा
योजनाएं

प्रस्तुत शोध-पत्र मध्यप्रदेश राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति और उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मध्यप्रदेश की लगभग 21% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, जिनमें गोंड, भील, बैगा, सहरिया, कोरकू आदि प्रमुख हैं। यद्यपि संविधान और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है, परंतु जमीनी हकीकत में आज भी अशिक्षा, स्कूल ड्रॉपआउट, भाषा अवरोध, सामाजिक भेदभाव और अवसंरचनात्मक कमियों के रूप में अनेक बाधाएं बनी हुई हैं।

यह शोध सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों, नीतिगत पहलुओं और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के आधार पर इन समस्याओं की पहचान करता है और सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है। साथ ही इस अध्ययन में आँकड़ों और तालिकाओं के माध्यम से तथ्य आधारित विश्लेषण भी किया गया है, जिससे नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों को जनजातीय शिक्षा की दिशा में प्रभावी हस्तक्षेप हेतु दिशा-निर्देश मिल सके।

भूमिका

शिक्षा न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के समग्र विकास का भी प्रमुख माध्यम है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और नागरिकों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। परंतु जब हम समाज के वंचित और

हाशिए पर स्थित समुदायों की बात करते हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की, तो पाते हैं कि आज भी ये समुदाय मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से पूर्णतः जुड़ नहीं पाए हैं।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है और ये देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं। मध्यप्रदेश में यह अनुपात और भी अधिक है—यहाँ लगभग 1.53 करोड़ जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यदि हम समावेशी शिक्षा की बात करें, तो जनजातीय शिक्षा का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।

इस शोध पत्र में मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदायों की शिक्षा से संबंधित वास्तविकताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है विभिन्न कारकों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संरचनात्मक आदि शिक्षा में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही, इसमें यह भी मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कितनी प्रभावी हैं और उन्हें कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

जनजातीय झांकी और मध्यप्रदेश का जनजातीय परिचय

मध्यप्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राज्य की कुल 52 जिलों में से लगभग 45 जिलों में जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। गोंड, भील, कोरकू, बैगा, सहरिया, भिलाला, पंडो, परधान, उरांव, मवासी जैसी जनजातियाँ यहाँ की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ हैं।

इन जनजातियों की जीवनशैली प्रकृति पर निर्भर है और इनमें अनेक सांस्कृतिक परंपराएँ, बोलियाँ और धार्मिक विश्वास पाये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, गोंड जनजाति की अपनी लिपि 'गोंडी' है जबकि बैगा जनजाति जड़ी-बूटी आधारित पारंपरिक चिकित्सा के लिए जानी जाती है। इनकी भाषिक विविधता और भौगोलिक अलगाव की स्थिति इन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

2011 की जनगणना के अनुसार:

- गोंड जनसंख्या: लगभग 77 लाख
- भील जनसंख्या: लगभग 46 लाख
- सहरिया: लगभग 7 लाख (विशेष पिछड़ी जनजाति)

जनजातियों का मुख्य निवास स्थान: डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, श्योपुर, धार, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया आदि।

इन क्षेत्रों में स्कूलों की सुलभता, शिक्षकों की उपलब्धता, परिवहन साधनों की कमी तथा मातृभाषा में शिक्षा की अनुपलब्धता प्रमुख समस्याएं हैं।

सैद्धांतिक विमर्श

जनजातीय शिक्षा के विश्लेषण में विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और दृष्टिकोणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है:

1. **संरचनात्मक क्रियावादी दृष्टिकोण (Structural Functionalism):** एमिल दुर्खीम के अनुसार शिक्षा सामाजिक एकीकरण और सामाजिक भूमिका के समायोजन का माध्यम है। जनजातीय समाजों में पारंपरिक ज्ञान की प्रणाली थी, जिसे औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा नहीं गया, जिससे उनका सामाजिक स्थान सीमित रह गया।
2. **संघर्षवादी दृष्टिकोण (Conflict Perspective):** कार्ल मार्क्स और बाद के विद्वानों ने शिक्षा को सामाजिक विषमता को बनाए रखने वाला औजार माना है। जनजातियों की शिक्षा तक सीमित पहुँच इस बात का प्रमाण है कि संसाधनों का वितरण असमान है और मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली शहरी व उच्चवर्गीय मूल्यों पर आधारित है।
3. **प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावादी दृष्टिकोण (Symbolic Interactionism):** यह दृष्टिकोण बताता है कि विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के साथ व्यवहार में अंतर, भाषा व सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण आत्म-हीनता की भावना उत्पन्न होती है। इससे छात्र शिक्षा से कटने लगते हैं।

अतः स्पष्ट है कि केवल संरचनात्मक उपायों से शिक्षा में सुधार संभव नहीं होगा जब तक कि सांस्कृतिक और भाषिक अनुकूलन, समुदाय भागीदारी और संवेदनशील पाठ्यक्रम को लागू नहीं किया जाए।

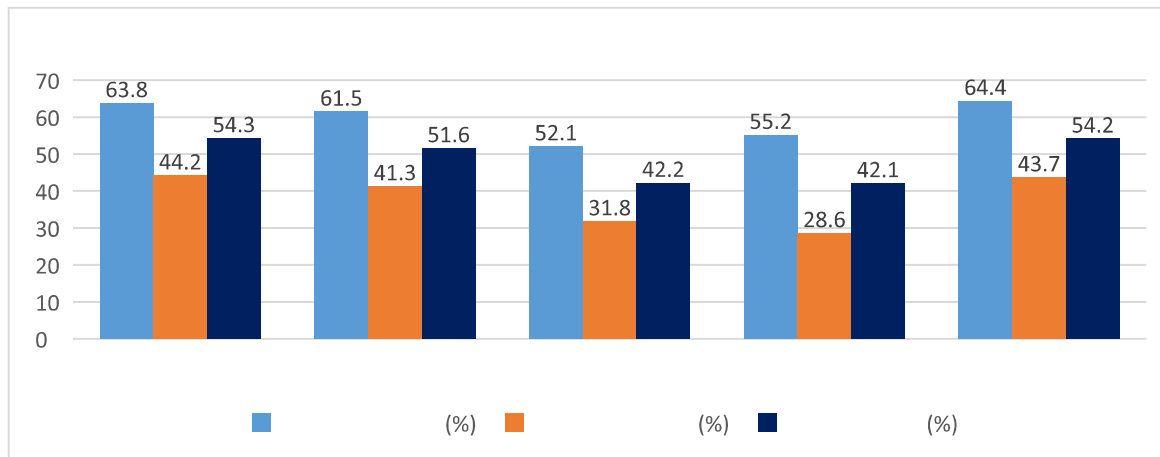
तथ्य एवं विश्लेषण

तालिका 1

मध्यप्रदेश में जनजातीय साक्षरता दर (2011 जनगणना पर आधारित)

क्रमांक	जनजाति समूह	पुरुष साक्षरता (%)	महिला साक्षरता (%)	कुल साक्षरता (%)
1	गोंड	63.8	44.2	54.3
2	भील	61.5	41.3	51.6

3	बैगा	52.1	31.8	42.2
4	सहरिया	55.2	28.6	42.1
5	कोरकू	64.4	43.7	54.2

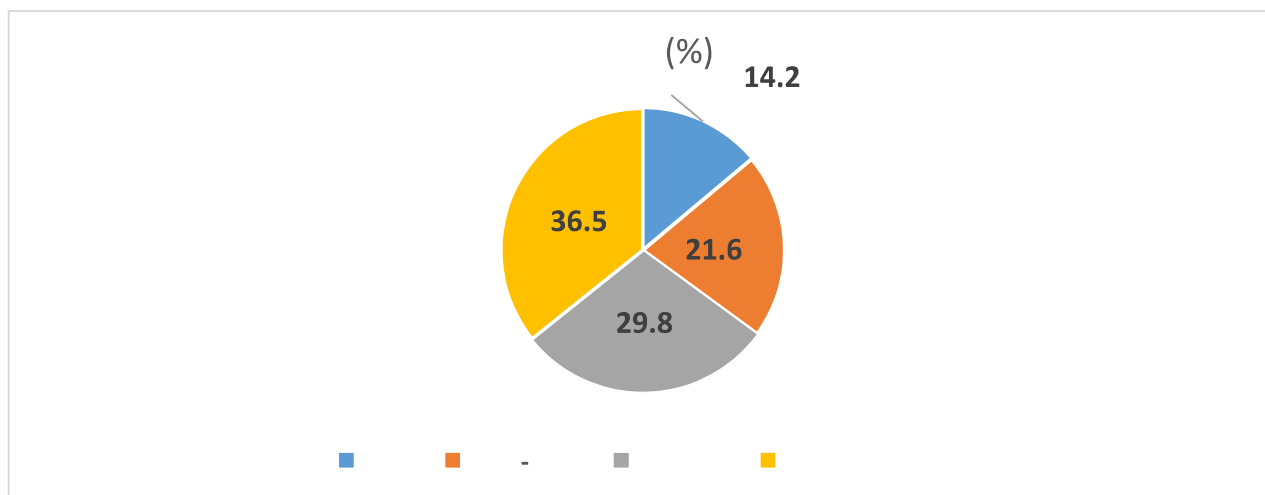


तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि अधिकांश जनजातियों में साक्षरता दर राज्य औसत से काफी कम है। विशेषकर महिलाओं की साक्षरता स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जो बैगा व सहरिया समुदायों में 30% से भी नीचे है। यह लैंगिक असमानता न केवल शिक्षा बल्कि समग्र सामाजिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है।

तालिका 2

स्कूल ड्रॉपआउट दर (माध्यमिक स्तर)

क्रमांक	क्षेत्र	ड्रॉपआउट दर (%)
1	शहरी	14.2
2	अर्ध-शहरी	21.6
3	ग्रामीण	29.8
4	जनजातीय क्षेत्र	36.5



तालिका क्रमांक 1 से ज्ञात होता है कि स्कूल ड्रॉपआउट दर जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक है, जहाँ लगभग 36.5% छात्र माध्यमिक स्तर से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। इसके पीछे स्कूलों की दूरी, शिक्षक की अनुपलब्धता, परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह एवं श्रम की मजबूरी शामिल हैं।

इस प्रकार, आँकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनजातीय समुदायों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष रणनीतिक हस्तक्षेप और समावेशी नीति की आवश्यकता है।

चुनौतियां

जनजातीय समुदायों की शिक्षा में बाधाएं बहुआयामी हैं। ये बाधाएं केवल आर्थिक या भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारण भी छिपे हुए हैं। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में जहाँ कई जनजातीय समुदाय घने जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, वहाँ शिक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां सामने आती हैं:

- **भौगोलिक दुर्गमता और आधारभूत अवसंरचना की कमी:**

अनेक जनजातीय गांव दुर्गम पहाड़ी या वनवासी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ तक सड़क, परिवहन और संचार की सुविधाएं सीमित या अनुपस्थित हैं। इस कारण बच्चों को विद्यालय तक पहुँचने में कठिनाई होती है। कई स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 5-10 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा, विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय, खेलकूद आदि की सुविधाओं का अभाव भी स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारणों में शामिल है।

- **आर्थिक विवशता और बाल श्रम:**

जनजातीय परिवारों की आय का मुख्य स्रोत कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रह और दैनिक श्रम है, जो कि अस्थायी और अल्पकालिक होती है। इस कारण बच्चों को बाल श्रम में

लगाना, घरेलू कार्यों में सहयोग लेना या मौसमी प्रवासन में साथ ले जाना, इन्हें पढ़ाई से दूर कर देता है।

- **सांस्कृतिक असमानता और पाठ्यचर्या का विरचनात्मक संकट:**

जनजातीय बच्चों की मातृभाषा प्रायः हिन्दी से भिन्न होती है (जैसे गोंडी, भीली, कोरकू आदि)। जब इन बच्चों को हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है, तो वे न केवल भाषागत अवरोध से जूझते हैं, बल्कि वे पाठ्यपुस्तकों में अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संरचना और जीवनशैली का प्रतिनिधित्व नहीं पाते। यह उन्हें शिक्षा से असंबद्ध महसूस कराता है।

- **सामाजिक भेदभाव और बहिष्करण:**

यद्यपि संवैधानिक स्तर पर समानता और आरक्षण की व्यवस्था है, परंतु व्यावहारिक धरातल पर आज भी जनजातीय बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। यह भेदभाव शिक्षक-छात्र संबंध, भोजन, बैठने की व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में देखा गया है। इससे आत्मगौरव को ठेस पहुँचती है और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है।

- **शिक्षक की अनुपलब्धता और संवेदनशीलता की कमी:**

जनजातीय क्षेत्रों में योग्य और संवेदनशील शिक्षकों की भारी कमी है। कई बार शिक्षकों को इन क्षेत्रों में पोस्टिंग नहीं चाहिए होती, और यदि होती भी है, तो वे नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते। जो शिक्षक तैनात होते हैं, वे जनजातीय भाषा, संस्कृति या समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, जिससे एक दूरी बनी रहती है। इस दूरी के कारण बच्चे अपने शिक्षक से घुल-मिल नहीं पाते और शिक्षा में रुचि घट जाती है।

- **लैंगिक असमानता:**

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। प्रारंभिक स्तर पर नामांकन के बाद वे माध्यमिक स्तर तक पहुँचने से पूर्व ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके पीछे बाल विवाह, घरेलू कार्यभार, असुरक्षा की भावना और मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियाँ प्रमुख कारण हैं।

- **नीति और कार्यान्वयन में अंतर:**

कई बार शिक्षा से संबंधित योजनाएं अच्छी होती हैं, परंतु उनका ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन कमजोर होता है। जैसे कि स्कूल भवन बनने में देरी, छात्रवृत्ति वितरण में बाधा, पोषण आहार की अनियमितता, आदि। इससे समुदाय में सरकार के प्रति अविश्वास पनपता है और अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकते हैं।

योजनाएं और नीतियां

मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर जनजातीय शिक्षा के सुधार हेतु अनेक योजनाएं एवं नीतियां लागू की गई हैं। इनका उद्देश्य न केवल शिक्षा की सुलभता

और गुणवत्ता को बढ़ाना है, बल्कि जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी और सांस्कृतिक रूप से अनुकूल शिक्षा प्रणाली विकसित करना भी है।

1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):

यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा देना है। मध्यप्रदेश में कई जिलों में ये विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में छात्रों को शिक्षा, आवास, भोजन, खेलकूद, संस्कृति और तकनीकी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलती हैं।

2. आश्रम शालाएं:

राज्य शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम शालाएं संचालित की जाती हैं, जहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ आवास, पोषण और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है।

3. सर्व शिक्षा अभियान (SSA):

यह एक समावेशी योजना है, जिसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रवृत्तियां, बालिकाओं हेतु विशेष योजनाएं आदि इसके अंतर्गत आती हैं।

4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):

माध्यमिक स्तर पर नामांकन एवं उपलब्धता बढ़ाने हेतु RMSA लागू किया गया है। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, आधारभूत संरचना निर्माण, छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है।

5. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना:

जनजातीय बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे 'कन्या शिक्षा प्रवेश योजना', जिसमें नामांकन पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा छात्रावास, साइकिल वितरण, पोषण आहार, सैनिटरी पैड वितरण जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

6. डिजिटल साक्षरता अभियान:

शिक्षा को तकनीक से जोड़ते हुए ई-लर्निंग केंद्र, स्मार्ट क्लास, टैबलेट वितरण और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी गुणवत्ता शिक्षा पहुँच सके।

7. आदिवासी छात्रवृत्ति योजना:

ST वर्ग के छात्रों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह आर्थिक सहायता उनके निरंतर अध्ययन को बनाए रखने में सहायक होती है।

8. जनजातीय कार्य विभाग की 'उन्नत जनजातीय शिक्षा नीति':

यह नीति शिक्षा की स्थानीयता, मातृभाषा में शिक्षण, सांस्कृतिक समावेशन, और समुदाय सहभागिता पर बल देती है। इसमें जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति, जनजातीय ज्ञान प्रणाली का समावेश और शिक्षा में नवाचार शामिल है।

9. अनुशंसाएं (Recommendations)

जनजातीय शिक्षा की जमीनी सच्चाइयों और वर्तमान प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर कुछ ठोस और व्यावहारिक अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं, जिन्हें लागू करके इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है:

1. मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा:

जनजातीय बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इससे उनकी समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होगी। इसके लिए जनजातीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री, पुस्तकें और शब्दकोष तैयार करना आवश्यक है।

2. जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति:

जनजातीय समुदायों से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि सांस्कृतिक और भाषाई दूरी कम हो सके। यह शिक्षक छात्रों के साथ भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव स्थापित करने में अधिक सक्षम होंगे।

3. आश्रम शालाओं और छात्रावासों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि:

अधिक से अधिक दूरवर्ती क्षेत्रों में आश्रम शालाओं की स्थापना की जाए। इनकी निगरानी, भोजन गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बालिकाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास विशेष रूप से प्राथमिकता में रखे जाएं।

4. पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं:

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, और किशोरी बालिकाओं के लिए मासिक धर्म प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

5. डिजिटल पहुँच और तकनीकी सशक्तिकरण:

जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। साथ ही डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

6. सामुदायिक सहभागिता और अभिभावक जागरूकता:

अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशील करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। स्कूल प्रबंधन समितियों में समुदाय के लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। स्थानीय पंचायतों को भी जवाबदेही सौंपी जाए।

7. स्कूलों तक सुलभ परिवहन सुविधा:

उन क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय दूरस्थ हैं, वहाँ बच्चों के लिए साइकिल, मिनी बस या अन्य परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएं। विशेषकर बालिकाओं के लिए यह पहल बहुत प्रभावी होगी।

8. शिक्षा नीति में जनजातीय दृष्टिकोण का समावेश:

राष्ट्रीय और राज्य स्तर की शिक्षा नीति में जनजातीय दृष्टिकोण (Tribal Perspective) को सुस्पष्ट रूप से जोड़ा जाए। इसमें सांस्कृतिक पहचान, ज्ञान परंपराओं और स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए।

9. सतत् मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली:

योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी हेतु एक पारदर्शी और समयबद्ध मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए। इससे नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन और आवश्यक संशोधन संभव हो सकेगा।

10. जनजातीय विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन:

उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के प्रति जनजातीय विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। करियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग केंद्रों की स्थापना की जाए।

निष्कर्ष

जनजातीय शिक्षा की स्थिति का मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गहन विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में अभी भी अनेक संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं मौजूद हैं। यद्यपि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं, लेकिन उनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया, जागरूकता का अभाव, और संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं।

जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। मातृभाषा में शिक्षा, जनजातीय शिक्षकों की भागीदारी, डिजिटल और तकनीकी संसाधनों का विस्तार, और सामुदायिक सहयोग शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बना सकते हैं।

साथ ही, यह भी आवश्यक है कि नीति-निर्माण और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटा जाए। शहरी और ग्रामीण, विशेषकर दूरवर्ती जनजातीय क्षेत्रों के बीच शैक्षिक विषमताओं को समाप्त करने हेतु विशेष रणनीतियाँ अपनायी होंगी।

अंततः, जनजातीय शिक्षा केवल साक्षरता का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। जब तक जनजातीय समाज को शिक्षा के माध्यम से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक विकास की परिकल्पना अधूरी

रहेगी। इस दिशा में एक समन्वित, उत्तरदायी और संवेदनशील दृष्टिकोण ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।

महात्मा गांधी: शिक्षा को चरित्र निर्माण का माध्यम मानते थे।

पंडित नेहरू: शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का सेतु मानते थे।

अमर्त्य सेन: शिक्षा को स्वतंत्रता और मानव क्षमता विकास की कुंजी मानते हैं।

डॉ. कलाम: ग्रामीण और जनजातीय शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे।

11. संदर्भ (References)

1. मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग - शैक्षिक योजनाओं का दस्तावेज
2. Census of India 2011 – Scheduled Tribes Population Data
3. Govinda, R. (2011). *Who Goes to School? Exploring Exclusion in Indian Education*. Oxford University Press.
4. रंजन, के. (2020). *जनजातीय शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन*. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन।
5. Planning Commission Reports (12th Five Year Plan – Tribal Development)
6. प्रफुल्ल पटेल (2019), *मूलवासी समाज की शिक्षा: अवसर और चुनौतियाँ*, राजकमल प्रकाशन।
7. NITI Aayog (2021). *Educational Outcomes among Tribal Populations in India*
8. गांधी, महात्मा (1937). *हरिजन पत्रिका*, “शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए।”
9. नेहरू, जवाहरलाल (1949). *Discovery of India*, “शिक्षा केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक संस्कार प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है।”
10. अमर्त्य सेन (1999). *Development as Freedom*, “शिक्षा स्वतंत्रता की मूल कुंजी है - यह मानव क्षमताओं का विकास करती है।”
11. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (2006). *Ignited Minds*, “अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें ग्रामीण और जनजातीय बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचानी होगी।”